न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 15/2024

GCMS No. : 2024/25

प्रार्थीः—	**बनाम**	**अप्रार्थीगण :—**
भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		श्री मनोहरलाल पुत्र दयाराम जाति सिन्धी निवासी 17 मालानी नगर पीठ का बास पाली मैसर्स मनोहरलाल दयाराम जटियों का बास सुरजपोल पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51

उपस्थित :—

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित
2. अप्रार्थी उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक : 20.3.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 20.06.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स मनोहरलाल दयाराम जटियों का बास सूरजपोल पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम मनोहरलाल बताया एवं स्वंय को फर्म का मालिक होना बताया। फर्म का निरीक्षण के दौरान 25—30 किलो धनिया पाउडर खुला रखा पाया गया, जिसे अप्रार्थी द्वारा आमजन को विक्रय हेतु रखा गया था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने धनिया पाउडर खुला का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की जिसके लिए मेने दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नहीं होने कि स्थिति में मेरे साथ आये ओम प्रकाश प्रजापत, कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की धनिया पाउडर खुला का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में धनिया पाउडर खुला 02 किलो वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 650/— रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा धनिया पाउडर खुला को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर—1911 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म—6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई। नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया धनिया पाउडर खुला का नमुना संख्या आर—1911 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1726/एक्ट/2023/1769 दिनांक 04.07.2023 के अनुसार Unsafe Food & Sub-Standard पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी गयी जिस पर अप्रार्थी ने उक्त नमुना का पुनः जांच करवाने का निवेदन किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली राजस्थान

उक्त नमुना वास्ते द्वितीय जॉच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर भिजवाया गया। निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या FT/AQCL/FSSA(924F)/2023 दिनांक 22.12.2023 के अनुसार Sub-Standard पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-Standard धनिया पाउडर खुला का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा भविष्य में पुरी तरह से सावधानी बरती जायेगी। अप्रार्थी के यहां धनिया पाउडर खुला का निर्माण नहीं किया जाता है न ही किसी प्रकार की मिलावट की जाती है। थोक विक्रेता से जिस अवस्था में खरीद किया जाता है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है। थोक विक्रेता से धनिया पाउडर खुला का खरीद बिल खो जाने से पेश करने में असमर्थ हूं। अतः अप्रार्थी पर कम से कम शास्ति आरोपित कर प्रकरण निस्तारित करावें।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.06.2023 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स मनोहरलाल दयाराम जटियों का बास सूरजपोल पाली से धनिया पाउडर खुला वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1911 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये धनिया पाउडर खुला का नमुना कोड संख्या आर–1911 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिया गया धनिया पाउडर खुला का नमुना Unsafe Food & Sub-Standard पाया गया, जिस पर अप्रार्थी के निवेदन पर द्वितीय जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर भिजवाया गया। वहा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त नमुना संख्या आर–1911 अवमानक (Sub-Standard) स्तर का पाया गया। जिसका अप्रार्थी द्वारा विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-standards) धनिया पाउडर खुला का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 70,000/– अक्षरे सत्तर हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 20/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली